(307)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :– प.3(442)नविवि/03/2003 जयपुर, दिनांक 02.12.2010

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि नगरीय निकायों/स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में स्थित खातेदारी भूमियों पर प्लाटिंग/निर्माण के कारण धारा 90 बी भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रभावी होने के पूर्व एवं पश्चात् ऐसी खातेदारी भूमियों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए, 91 सपठित धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज किया गया है।

ऐसी सिवायचक भूमि पर निवास कर रहे व्यक्तियों द्वारा बारम्बार मांग की जा रही है कि उक्त भूमि पूर्व मं खातेदारी भूमि होने के कारण इसकी नियमन दर खातेदारी भूमि की नियमन दर के समान ही वसूल की जाकर पट्टे जारी किये जावें। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में पत्र क्रमांक प.5(3) नविवि/03/2000 दिनांक 12.04.2001 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये :–

"राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ प्राधिकृत अधिकारी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90ए के अन्तर्गत सिवायचक घोषित भूमियों की भूमि रूपान्तरण राशि की दर के बारें में स्पष्ट नहीं है। अतः स्पष्ट किया जात है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90ए के अन्तर्गत सिवायचक घोषित भूमियों में धारा 90बी के अनुरूप रूपान्तरण राशि जमा की जावे। साथ ही धारा 90ए के अन्तर्गत आरापित शास्ती की वसूली करने की कार्यवाही की जावें।"

इस संबध में कई नगर निकायों द्वारा पुनः मार्गदर्शन मांगा गया है। ऐसे निर्माणों का नियमन नहीं करने से जहाँ राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, वही ऐसे भूमियों का सुनियोजित विकास भी नहीं हो रहा है तथा यहाँ निवास कर रहे लोगों को भूमि का स्वामित्व व पट्टा भी प्राप्त नहीं होने से ऐसे व्यक्ति कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित है।

अतः ऐसी सिवायचक भूमियों के नियमन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतत् द्वारा प्रदान की जाती है –

1. ऐसी सिवायचक भूमियाँ यदि नगरीय/स्थानीय निकायों को संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा हस्तांतरित नहीं की गयी हो तो ऐसी भूमियों को सबंधित जिला कलेक्टर से राजस्व विभाग के परिपत्र 6(9)राज–6/96।। दिनांक 29.07.2003 व क्रमांक 6(9)राज–6/96 पार्ट दिनांक 2.6.2009 के अन्तर्गत हस्तांतरित करवायी जावे।
2. ऐसी सिवायचक भूमियों पर स्थित निर्माणों का भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90बी (1) हेतु निर्धारित दरों के अतिरिक्त ऐसी भूमि के हस्तांतरण हेतु राजस्व विभाग के उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के अन्तर्गत जमा कराई जाने वाली राशि भी समानुपातिक रूप से भूखण्डधारियों से वसूल कर नियमन किया जावे।

प्रमुख शासन सचिव